न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 02/2013 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2013/00050**

1. जगमीत सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी चक 425 आरडी, रोही डांडूसर, तहसील व जिला बीकानेर।(मृत्तक)
1/1 श्रीमती बलवन्त कौर पत्नी जगमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 425 आरडी, रोही डांडूसर, तहसील व जिला बीकानेर।
1/2 अग्रेजसिंह पुत्र स्व. जगमीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 425 आरडी, रोही डांडूसर, तहसील व जिला बीकानेर।
1/3 परमजीतकौर पुत्री स्व. जगमीतसिंह पत्नी सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नंबर 1, 113 आरडी अर्जुनसर, लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. निम्बाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी पलाना तहसील व जिला बीकानेर।
2. रामेश्वरलाल पुत्र परमाराम जाति जाट निवासी पलााना तहसील व जिला बीकानेर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीगंगानगर।

——रेस्पोडेन्ट्स

4. मेजर सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी चक 425 आरडी, रोही डांडूसर तहसील व जिला बीकानेर हाल गांव खरलिया, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

——प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री सत्यपाल साहू — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 08.07.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम डांडूसर हल्का जामसर तहसील एवं जिला बीकानेर खसरा नंबर 260/3 में 8 बीघा 17 बीस्वा तथा चक 425.600 आरडी के मु. नं 225/60, 225/52, 225/53, 225/61 225/62 में तादादी 64 बीघा 8 बिस्वा भूमि हीराराम पुत्र नानूराम की खातेदारी कृषि भूमि है। हीराराम पुत्र नानूराम की देहान्त दिनांक 27.01.1990 को हो गई। रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या 1 एवं 2 ने तहसीलदार बीकानेर के समक्ष वारिस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर अपने पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार बीकानेर ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर विरास्तन इंतकाल पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 एवं 2 के पक्ष में इंतकाल संख्या 48 दिनांक 28.05.1999 दर्ज कर दिया। अपीलांट्स ने तहसीलदार

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बीकानेर के इंतकाल संख्या 48 दिनांक 28.05.1999 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर ने अपीलाधीन इंतकाल हस्तक्षेप किए बिना अपील खारिज कर दी। उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर के आदेश दिनांक 27.12.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि पर हीराराम बतौर खातेदार काबिज रहा। हीराराम के स्वयं की कोई सन्तान नहीं थी, ना ही हीराराम के कोई प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 दोनों ने अपने संयुक्त नाम से वारिस प्रमाण पत्र विधिक व्यवस्थाओं व प्रावधानों को दरकिनार करते हुए जारी करवाया है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार दी गई अनुसूची द्वितीय के अनुसार भी उक्त प्रमाण पत्र जाहिरा तौर से ही गलत है। उक्त द्वितीय अनुसूची के अनुसार मृतक का भाई व मृतक के भाई का पुत्र एक समय में एक साथ वारिस को ही नही सकते है। हीराराम ने अपने जीवनकाल अपीलाधीन भूमि के संबंध में प्रथम एवं अंतिम वसीयत अपीलांट संख्या 1 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पक्ष में कर दी। अपीलांट संख्या 1 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार बीकानेर ने जांच की गई, बयानात दर्ज किये, मौके पर जगमीतसिंह व मेजरसिंह को कब्जा काश्त में पाया तथा वसीयत की व अन्य संबंधित कागजात की प्रतियों के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि का इंतकाल जगमीतसिंह व मेजरसिंह के हक में दर्ज करने के आदेश दिनांक 30.07.1993 जारी किया। तहसीलदार बीकानेर अपने आदेश दिनांक 30.07.1993 के अनुसरण में आगामी कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का डांडूसर को पत्रांक 382 दिनांक 31.07.1993 जारी कर इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा उक्त इंतकाल दर्ज नही किया व बार बार जाने पर भी यह कहते रहे कि बुला लिया जाएगा लेकिन बुलाया नहीं। वारिस प्रमाण–पत्र के आधार पर इंतकाल दर्ज करने से पुर्व वसीयतधारी को सुना जाना कानूनी रूप से आवश्यक हैं। तहसीलदार बीकानेर के पुर्व आदेश को दबाकर खातेदार हीराराम के स्थान पर उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान न होते हुए, प्रकरण की पूर्ण जांच किए बिना, तमाम कार्यवाही विधिविरूद्ध रूप से कर इंतकाल संख्या 48 दर्ज किया गया हैं। वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में वसीयती इंतकाल बहक जगमीतसिंह व मेजरसिंह पिसरान अजायबसिंह के नाम से स्वीकृत किया जा चुका था फिर भी विधिविरूध तरिके से इंतकाल संख्या 48 दिनांक 28.05.1999 दर्ज किया गया। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी का घोषणात्मक डिक्री का दावा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का खारिज कर दिया गया है। इस दावा से स्पष्ट साबित होता है कि तमाम जमीन पर अपीलांट संख्या 1 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने विरासतन इंतकाल दर्ज होने के बाद वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल निरस्त नहीं करने की बात कही हैं जबकि वस्तुस्थिति तो यह है कि वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश तो दिनांक 30.07.1993 को ही तहसीलदार, बीकानेर द्वारा जारी किया जा चुका था। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह मत कि वसीयत के आधार पर स्वत्व की घोषणा सक्षम दीवानी न्यायालय से करवाई जावें, पूर्णतया त्रुटिपूर्ण हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.12.2012 को निरस्त करते हुए इंतकाल संख्या 48 दिनांक 28.05.1999 को निरस्त किया जावे।

हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.12.2012 को निरस्त करते हुए इंतकाल संख्या 48 दिनांक 28.05.1999 को निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि को इंतकाल वारिस प्रमाण–पत्र के आधार पर किया है। अपीलांट्स जिस तथाकथित वसीयत का जिक्र कर रहा है, वह गैर खातेदार भूमि की वसीयत है। गैर खातेदारी भूमि की वसीयत करने का अधिकार हीराराम को नहीं था, इस कारण वसीयत नल एण्ड वोईड है। उक्त तथाकथित वसीयत को रजिस्टर्ड भी हीराराम की मृत्यु के बाद किया गया है। उक्त तथाकथित वसीयत परिवार के सदस्यों के छोड़कर की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने सभी प्रक्षकारों को नोटिस जारी कर इंतकाल दर्ज किया हैं वो रिकॉर्ड पर है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में जब तक सक्षम अदालत द्वारा वसीयत के अधिकारी घोषित नहीं हो जातें तब तक विरासतन दर्ज इंतकाल निरस्त नही जा सकता है। यह कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलांट को वसीयत के अधिकारी सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष लेना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर ने विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए इंतकाल दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने भी तहसीलदार बीकानेर द्वारा दर्ज नामान्तकरण संख्या 48 दिनांक 28.05.1999 को सही माना है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जावें।

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में विरासतन इंतकाल दर्ज संख्या 48 दिनांक 28.05.1999 दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.12.2012 पारित करते हुए उल्लेख किया कि वसीयत के आधार पर अपीलांट्स को अपने स्वत्व की घोषणा सक्षम न्यायालय से करवाने के उपरान्त ही अनुतोष मिल सकता है और सक्षम न्यायालय से ही उत्तराधिकार की घोषणा प्राप्त की जा सकती है। अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत के अधिकारों का निर्णय नियमित वाद से ही होना है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2012 न्यायोचित है। जब तक वसीयत से अधिकार सक्षम न्यायालय से तय नहीं हो जाते, तब तक उक्त विरासतन दर्ज इंतकाल को खारिज किया जाना उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2012 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/7/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर